न्यायालय जिला कलक्टर एवं प्रथम अपीलेट अधिकारी

(सूचना अधिकार अधिनियम 2005)

पीठासीन अधिकारी मुक्तानंद अग्रवाल (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :— **60/2017 अपील सू.प्र.**

उनवान

श्री एस0एस0राणावत नि0 159/5, हनुमान कॉलोनी, शास्त्री नगर भीलवाड़ा	**बनाम**	लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलक्टर (प्रशासल) भीलवाड़ा
—अपीलार्थी		—प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) अधिनियम 2005

उपस्थित :— अपीलार्थी उपस्थित
प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधी

निर्णय

दिनांक : 24/07/2017

अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलक्टर(प्रशासन), भीलवाड़ा के विरूद्व दिनांक 29.06..2017 को जरिये डाक प्राप्त होकर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने विहित अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत निर्धारित शुल्क का पोस्टल ऑर्डर नं0 40 एफ 674687 दिनांक 08.05.2017 राशि 10.00 रू0 के साथ एक आवेदन दिनांक 16.05.2017 को प्रस्तुत कर लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलक्टर(प्रशासन) भीलवाड़ा से सूचना चाही गयी थी, किन्तु निर्धारित समय सीमा व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी बिन्दु संख्या 1,3,4,5,7,10,11 की अपूर्ण सूचना एवं बिन्दु संख्या 6 की वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराई। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना हेतु प्रस्तुत आवेदन दिनांक 12/05/2017 की प्रति अपील मेमो के साथ प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत अपील इस कार्यालय में दिनांक 03/07/2017 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रत्यर्थी् को सूचना पत्र जारी किया गया। तथा प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलक्टर(प्रशासन) भीलवाड़ा से तथ्यात्मक प्रतिवेदन चाहा गया। प्रत्यर्थी ने अपने पत्रांक/सूचना प्रकोष्ठ/2017 दिनांक 14.07.2017 से तथ्यात्मक प्रतिवेदन भिजवाते हुए अवगत कराया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी को आवेदन दिनांक 12.05.2017 को प्रस्तुत किया। अपीलार्थी द्वारा जिला कलक्टर कार्यालय के विभिन्न अनुभागों से सूचना प्राप्त कर प्राप्त होने वाली सूचनाएं अपीलार्थी को हमदस्त उपलब्ध करादी गई जिनकी पावती रसीदें अपीलार्थी के

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

आवेदन दिनांक 12.05.2017 पर ली गई तथा सम्बन्धित अनुभाग से प्रेषित पत्र पर ली गई जिनकी प्रतियां साथ संलग्न कर प्रेषित की है।

प्रत्यर्थी की ओर से प्रस्तुत तथ्यात्मक प्रतिवेदन व पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया ।

प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलक्टर(प्रशासन) भीलवाड़ा के पत्र द्वारा सूचना अपीलान्ट को निःशुल्क उपलब्ध करा दी गई।अपीलार्थी का आवेदन दिनांक 12.05.2017 में सूचना के कुल 11 बिन्दु अंकित है जिनकी सूचनाएं अलग–अलग अनुभागों के स्तर से अपीलान्ट को उपलब्ध कराई गई जिनकी प्राप्ति रसीदें स्वयं के आवेदन पत्र दिनांक 12.05. 2017 पर भी अंकित है तथा सम्बन्धित अनुभागों के द्वारा सूचना जिस पत्र से प्रेषित की गई उस पर भी प्राप्ति रसीदें अंकित है। अपीलार्थी के द्वारा बिन्दु संख्या 1,3,4,5,7,10,11 की अपूर्ण सूचना मिलना अपने अपील मीमों में अंकित किया परन्तु उनके द्वारा उपस्थित होकर यह स्पष्ट नहीं किया कि उन्हें किस प्रकार की कौनसी सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई। प्रत्यर्थी के प्रत्युत्तर के साथ संलग्न अनुभागों के सूचना प्रेषित किए जाने के पत्रों का अध्ययन किया उससे यह स्पष्ट होता है कि बिन्दु संख्या 3 व 10 जो कि न्याय अनुभाग से सम्बन्धित है तथा बिन्दु संख्या 11 की सूचना स्थापना अनुभाग से सम्बन्धित है वे अपूर्ण है । बिन्दु संख्या 6 की सूचना लेखा अनुभाग के पत्रांक 38003 दिनांक 13.06.2017 से उपलब्ध करादी गई परन्तु विलम्ब से व निःशुल्क उपलब्ध करा दी गई है। बिन्दु संख्या 4 की सूचना न्यायालय अनुभाग के पत्रांक /न्याया0 /60/ 2017 आरटीआइ/2017 दिनांक 19.07.2017 से वांछित सूचना उपलब्ध कराई जिसकी प्राप्ति रसीद उक्त पत्र पर दिनांक 24.07.2017 की है। इस प्रकार बिन्दु संख्या 1,4,5,6,7 की सूचना अपीलार्थी को पूर्ण उपलब्ध हो चुकी है तथा बिन्दु संख्या 3,10 व 11 के सम्बन्ध में जो सूचना प्रेषित की गई है वह अपूर्ण है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार किए जाने योग्य प्रतीत होती है।

अतएव उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रस्तुत अपील आंशिक स्वीकार करते हुए प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलक्टर(प्रशासन) भीलवाड़ा को आदेशित किया जाता है कि अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 12.05.2017 के बिन्दु संख्या 3,10 न्याय अनुभाग एवं बिन्दु संख्या 11 की सूचना स्थापना अनुभाग से अपीलान्ट के आवेदन अनुसार 15 दिवस में कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड अनुसार उपलब्ध करावें । आदेश की प्रति अपीलार्थी व प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलक्टर(प्रशासन) भीलवाड़ा को सूचनार्थ भेजी जावे।

आदेश आज दिनांक 24/07/2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(मुक्तानंद अग्रवाल)
जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपीलेट अधिकारी
भीलवाड़ा